

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238848, 2238800, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 9506/14

दिनांक 29/10/14

सेवा में,

प्रबन्धक,

मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग,

प्लॉट नं० 41, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोयडा,

गौतमबुद्ध नगर।

विषय-मेट्रो ग्रुप फार एजुकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लॉट नं. 41, नॉलेज पार्क-3, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में मुझे सूचित करना है कि उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के निर्णय एवं उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-3002/71-2-14-एन-34/2014 दिनांक 11 सितम्बर 2014 के क्रम में आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी प्रशिक्षण में 30 छात्र प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु अनुमति/अनापत्ति अस्थायी रूप से प्रदान की गई है।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें:-

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 36,000/- (रूपया छत्तीस हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 3,000/- प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जा सकता है।
4. समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
5. प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष जुलाई/अगस्त से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस की प्रति संलग्न है।

METRO COLLEGE

6. डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी प्रशिक्षण में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फ़ैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
7. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश न किया जाये।
9. सम्बद्धता शुल्क रूपया 15,000/- प्रतिवर्ष इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
10. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ायी जायेगी।
11. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेंगे, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
12. प्रत्येक वर्ष में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर 31 अक्टूबर-2014 तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।

भवदीय,



सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी।

दिनांक-

पत्र संख्या-

प्रतिलिपि-विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

METRO COLLEGE OF NURSING



Principal

METRO COLLEGE OF NURSING

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी।

